(2008) 6 एस.सी.आर. 163

चंद्रकांत बद्दी

बनाम

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कमिश्नर व अन्य

(क्रिमिनल अपील संख्या 756 ऑफ 2008)

29 अप्रैल, 2008

**(माननीय तरूण चटर्जी व हरजीत सिंह बेदी जे.जे.)**

निवारक निरोधः

हिरासत का आदेश - हिरासत की अवधि की समाप्ति - इसका प्रभाव- बंदी का अदालत के आदेश के कारण हिरासत से बाहर रहना, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था- इस बीच हिरासत की अवधि समाप्त हो गई- हालांकि, अदालत ने पहले के आदेश को रद्द करते हुए, हिरासत में लिए गए बंदी को वापस शेष अवधि के लिए जेल भेजने का निर्देश पारित किया गया, निर्धारित किया गयाः- जब हिरासत को रद्द करने वाले न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो हिरासत की शेष अवधि को पूरा करने के लिए बंदी को जेल भेजा जाना स्वचालित रूप से पालन नहीं होता है और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास निर्णय में उल्लेखित विभिन्न कारक को परीक्षित करने का अधिकार होता है।* ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिरासत की शेष अवधि को पूरा करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वापस भेजना उचित होगा या नहीं- इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को मामले की फिर से जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उस पर इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन माह की अवधि के भीतर निर्धारित किया जावे- कर्नाटक

प्रीवेंशन ऑफेंडर्स डेंजरस एक्टिविटिस ऑफेंडर्स बोटलजरस ड्रग ऑफेंडर्स, गैम्बलरस, गुंडास, इममोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स एंड स्लम ग्रेबर्स एक्ट 1985-एस 3(2)

सुनील फूलचंद शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2000) 3 एससीसी 409; और** टी.एन. राज्य और अन्य. बनाम अलागर **(2006) 7 एससीसी 540-पर आधारित।**

टी.देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य **(1990) 2 एससीसी 456-उल्लेखित।**

पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम गुरबक्स आनंदराम भिरयानी **(1988) सप. एससीसी 568 - खारिज कर दिया गया।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नं. 758/2008

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के डब्ल्यू.पी. संख्या 156/2005 में दिनांक 30.3.2007 के आदेश में आर.पी. संख्या 456/2006 से।

के साथ

आपराधिक अपील नंबर 757/2008

के. के. मणि, सी. के. आर. लेनिन सेकर और मयूर आर. शाह, अपीलार्थी की ओर से।

संजय आर. हेगड़े, ए. रोहन सिंह और विक्रांत यादव, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

1. स्वीकृति दी गयी।

2. यहां अपीलकर्ता को 9 दिसंबर 2005 के एक आदेश के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया था, जो कर्नाटक में बोतलबंद ड्रग अपराधियों, जुआरियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और स्लम ग्रैबर्स अधिनियम, 1985 की

खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम की धारा 3 (2) के तहत पारित किया गया था। इस आदेश को 16 दिसंबर 2005 को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 1 सितंबर 2006 के अपने आदेश द्वारा, डिवीजन बैंच ने पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम गुरबक्स आनंदराम भिरयानी (1988) (1) एससीसी 568 को आधार मानते हुये हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसके बाद कर्नाटक राज्य ने इस दलील पर दिनांक 1 सितंबर 2006 के आदेश के पुर्नवलोकन के लिये एक आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया कि उपरोक्त निर्णय पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम गुरबक्स आनंदराम भिरयानी (1988) (1) एससीसी 568 को टी. देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य (1990) 2 एससीसी 456 में इस न्यायालय के बाद के फैसले द्वारा बदल दिया गया था। बैंच का गठन करने वाले माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि उन्होंने अपनी एक गलती के कारण "रातों की नींद हराम" की है, क्योंकि वकील ने सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को पीठ के समक्ष पेश नहीं किया और यह कि उनकी न्यायिक अंतरात्मा को एक ऐसे फैसले पर भरोसा करते हुए आदेश पारित करने के लिए आहत किया गया था, जिसे पूर्व में बदल दिया गया था। इस प्रकार बैंच ने 30 मार्च 2007 को पुर्नवलोकन याचिका को स्वीकार कर लिया और 1 सितंबर 2006 के आदेश को वापस ले लिया। बैंच ने यह भी पाया कि हिरासत की अवधि 8 दिसंबर 2006 को समाप्त हो गई थी और तद्नुसार निर्धारित किया कि:

> "इन परिस्थितियों में, विद्वान वकील श्री जावली के विरोध और उनके इस तर्क के बावजूद कि उनके मुवक्किल को वापस जेल नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में पारित निवारक आदेश समाप्त हो चुका है तो उक्त आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि दोषपूर्ण आदेश के लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी

जा सकती है और जिस दोषपूर्ण आदेश से प्रार्थी ने जो लाभ प्राप्त किये हैं, उन्हें वापिस लिया जाना होगा। इन परिस्थितियों में, हम पुलिस को उसे (बंदी) निवारक आदेश की शेष रही अवधि हेतु हिरासत में लेने का निर्देश देना उचित समझते हैं।"

3. उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं। 30 अप्रैल 2007 को नोटिस जारी करते हुए आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच, अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने भी जवाब दाखिल किया है और हमने तदनुसार मामले को गुण-दोष के आधार पर सुना है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सुनील फूलचंद शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2000) 3 एससीसी 409 को आधार मानते हुये निवेदन किया कि चूंकि निरोध आदेश को एक वर्ष की समाप्ति पर यानि 8 दिसंबर 2006 को समाप्त माना जायेगा, इसलिए अपीलकर्ता को वापस हिरासत में भेजना अनुचित होगा और इसके लिए हस्तगत याचिका दायर की गई है। हालाँकि, अप्रार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के बाद के फैसले को आधार मानते हुये स्टेट ऑफेंडर्स टी.एन और अन्य बनाम अलागर (2006) 7 एससीसी 540 में इस न्यायालय के बाद के फैसले को आधार मानते हुये यह तर्क दिये हैं कि जिस अवधि के दौरान हिरासत में लिया गया अपीलकर्ता एक गलत आदेश के कारण हिरासत से बाहर रहा था, उस अवधि के हिरासत की अवधि की गणना करते समय उस अवधि को घटाया नहीं जा सकता है और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी भी इस तथ्य को देखने के लिये स्वतंत्र है कि कुछ निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों में क्या किया जाना था, इसकी जांच करें।

4. हमने उभय पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। सुनील फूलचंद शाह (सुप्रा) मामले में बैंच इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि "पहला, क्या हिरासत की अवधि एक निश्चित अवधि है जो हिरासत आदेश में निर्दिष्ट तारीखों से

चलती है और उस अवधि या अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त होती है अथवा उक्त अवधि बंदी को दिये गये किसी समयावधि के पैरोल से स्वतः बढ़ती है। दूसरे, ऐसे मामले में जहां उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति देता है और बंदी को रिहा करने का निर्देश देता है और परिणामस्वरूप बंदी को मुक्त कर दिया जाता है और उसके बाद अपील पर पूर्व का गलत निर्णय बदल लिया जाता है तो क्या इस न्यायालय के द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर उस शेष अवधि हेतु भुगतने के लिये भेजा जा सकता है जो हाइकोर्ट के गलत आदेश के अधीन दी गयी असल अवधि में से शेष रहा था।

इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर दिया गया था: "उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत के आदेश को रद्द करने से ऐसा आदेश समाप्त हो जाता है और यदि उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी जाती है, तो सवाल यह है कि क्या बंदी को शेष अवधि हिरासत में बिताने के लिये आत्मसमर्पण करने हेतु निर्देशित किया जावे या नहीं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा और विशेष रूप से इस प्रश्न पर कि हिरासत की तारीख, उच्च न्यायालय के आदेश; और इस न्यायालय के आदेश, के बीच के लाने वाले समय पर। जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

लंबे समय के अंतराल के बाद, जब हिरासत के आदेश में निर्धारित अधिकतम निर्धारित अवधि भी समाप्त हो गई हो, तो किसी बंदी को हिरासत की शेष अवधि से गुजरने के लिए वापस भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि हिरासत की अवधि जिसके द्वारा बंदी को अपीलीय आदेश के अनुसार हिरासत में लिया जाना आवश्यक था, के बीच अभी भी कोई निकटतम अस्थायी संबंध मौजूद न हो और राज्य हिरासत को आगे बढ़ाने या जारी रखने की वांछनीयता के बारे में अदालत को संतुष्ट करने में सक्षम है।

5. अलागर के मामले में इस फैसले का पालन किया गया और पैराग्राफ 9 में यह देखा गया कि:

> "अवशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या अप्रार्थी को समय बीतने के मद्देनजर हिरासत की शेष अवधि काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश देना उचित होगा। जैसा कि सुनील फूलचंद शाह बनाम भारत संघ और टीएन राज्य बनाम केथियान पेरूमल मामले में देखा गया था कि यह उपयुक्त राज्य पर विचार करने का काम है कि क्या उन कृत्यों का प्रभाव, जिसके कारण हिरासत का आदेश दिया गया, अभी भी बना हुआ है और क्या हिरासत की शेष अवधि व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को वापस हिरासत में भेजना वांछनीय होगा। इस संबंध में अपीलकर्ता राज्य द्वारा दो महीने के भीतर आवश्यक आदेश पारित किया जाना चाहिये। सभी मामलों में समय बीत जाना, बंदी को हिरासत की शेष अवधि को भुगतने के लिए न भेजने का आधार नहीं हो सकता। यह सब कार्य के तथ्यों और आपत्तिजनक कृत्यों के प्रभाव के जारी रहने या अन्यथा होने पर निर्भर करता है। राज्य इस बात पर विचार करेगा कि क्या उस आदेश में दर्शाई गई हिरासत की अवधि जिसके द्वारा हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता थी और जिस तारीख को वर्तमान आदेश के अनुसार हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता है, के बीच अभी भी कोई निकटतम अस्थायी संबंध मौजूद है।"

6. उपरोक्त उद्धृत अनुच्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि जब हिरासत को रद्द करने वाले न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो हिरासत की शेष अवधि को पूरा करने के लिए बंदी को जेल भेजा जाना स्वचालित रूप से पालन नहीं होता है और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास निर्णय में उल्लेखित विभिन्न कारक को

परीक्षित करने का अधिकार होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिरासत की शेष अवधि को पूरा करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वापस भेजना उचित होगा या नहीं। मामले को देखते हुए, हमारी राय है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को इस आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर मामले की फिर से जांच करने और उस पर निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। आगे हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया अंतरिम आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2007 लगातार प्रभावी रहेगा।

7. अपीलें उपरोक्त आधारों पर स्वीकार की जाती हैं।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **नवदीप (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।